न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–36 / 2022

प्रार्थी:–

मेघराज पुत्र उदाजी जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **विप्रार्थी अनुपस्थित**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08.04.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कल्याणसिंह की ढाणी पटवार मण्डल इन्द्राणा खसरा संख्या 84 व 09 रकबा 2.1125 व 4.6134 हैक्टयर की भूमि आई हुई है प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा आधारकार्ड, ,पेनकार्ड व बैंक खाता डायरी इत्यादि में प्रार्थी का नाम मेघराज पुत्र उदाजी दर्ज है। प्रार्थी को सभी जगह इसी नाम से जाना पहचाना जाता है ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम मेगसिंह पुत्र उदा अंकित है। मौजा ग्राम कल्याणसिंहकी ढाणी में आये उपरोक्त खसरा की खातेदारी में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज करते समय सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश ''मेगसिंह पुत्र उदा '' अंकित कर दिया जिससे सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं ''मेगसिंह पुत्र उदा'' व ''मेघराज पुत्र उदाजी'' नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:20 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । । वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत माफिक इस्तदुआ सहमति जाहिर की।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं
(S.D.O.) सिवाना

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात , सहखातेदारी की सहमति व ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर मेगसिंह पुत्र उदा के स्थान पर मेघराज पुत्र उदाजी किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, ,पेनकार्ड व बैंक खाता डायरी दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम मेघराज पुत्र उदाजी अंकित है। ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ''मेगसिंह पुत्र उदा'' व ''मेघराज पुत्र उदाजी'' दोनो एक ही व्यक्ति है साथ ही सहखातेदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने बाबत सहमति प्रदान की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा कल्याणसिंह की ढाणी पटवार मण्डल इन्द्राणा खसरा संख्या 84 व 09 रकबा 2.1125 व 4.6134 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम ''मेगसिंह पुत्र उदा'' के स्थान पर ''मेघराज पुत्र उदाजी'' शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 08.04.2022 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना